कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश ।

संख्या–एम०ई०–3 / यूजी–2026 / 1476 लखनऊ:दिनांक03/08/2026

यू०पी० नीट यू०जी० 2026 की प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना / निर्देश।

1. नीट यू0जी0–2026 की प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू०पी० नीट यू0जी0–2026 की काउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।
2. यू०पी० नीट यू०जी०–2026 की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय वेबसाइट https://upneet.gov.in पर लॉगिन कर पंजीकरण किया जायेगा।
3. पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी स्वयं के मोबाइल नं० एवं ई–मेल का उपयोग करते हुए पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें क्योंकि किसी भी प्रकार की सूचना का आदान–प्रदान पंजीकरण के समय प्रदान किए गये मोबाईल नं० एवं ईमेल पर ही किया जायेगा।
4. ऑनलाइन काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण शुल्क रू0 2,000/– जमा किया जाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा, अर्थात् Non Refundable होगा।
5. नीट यू0जी0–2026 में अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण के समय https://upneet.gov.in पर अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु किसी एक नोडल सेन्टर का चयन करना होगा।
6. अभिलेखों के ऑनलाईन सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अभिलेख https://upneet.gov.in पर अपलोड किये जायेंगे :–
   - हाईस्कूल मार्कशीट / प्रमाण–पत्र
   - इण्टरमीडिएट मार्कशीट
   - आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (OBC, SC, ST, EWS & EX- Army, NCC, FF, PWD) (यदि लागू हो)
   - डोमिसाईल सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
7. अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित तालिका के अनुसार धरोहर धनराशि आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करायी जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जायेगी, वह च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।

क०सं०	विवरण	धरोहर धनराशि (Security Money)
1	राजकीय क्षेत्र की मेडिकल / डेण्टल पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	रू0 30,000 (रु० तीस हजार मात्र)
2	निजी क्षेत्र की मेडिकल पाठ्यक्रम सीटों हेतु	रू0 2,00,000 (रु० दो लाख मात्र)
3	निजी क्षेत्र की डेण्टल पाठ्यक्रम सीटों हेतु	रू0 1,00,000 (रु० एक लाख मात्र)

8. ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी (मेडिकल एवं डेन्टल) दोनों क्षेत्र की सीटों हेतु काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहतें है, उन्हें रू0 2,00,000/– की धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।

9. ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र की डेन्टल कालेजों की सीटों हेतु काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करना चाहतें है, उन्हें रू0 1,00,000/– की धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।

10. धरोहर धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जायेगी।

11. **काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है, कि धरोहर धनराशि जमा करते समय अपने स्वयं के बैंक खाते का उपयोग करें, क्योंकि समस्त चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के उपरान्त् अनावंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थियों की धरोहर धनराशि उसी बैंक खाते मे नियमानुसार वापस की जायेगी, जिस खाते से धरोहर धनराशि का भुगतान किया गया है।**

12. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउंसिलिंग द्वारा आंवटित/प्रवेशित अभ्यर्थियों को निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा होगी अर्थात् प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो, उसकी धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।

13. प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थी द्वितीय अथवा तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में पुनः प्रतिभाग कर सकता है।

14. आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।

15. **उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०) के आरक्षण प्रमाण–पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2026 अथवा इसके पश्चात् का ही मान्य होगें।**

16. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र उ०प्र० शासन द्वारा अद्यतन प्रारूप पर निर्गत करा लें, जिससे कि प्रमाण–पत्र का ऑनलाइन सत्यापन सुविधा जनक रूप से हो सकें।**

17. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

18. उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

19. यू०पी० नीट यू०जी०–2026 के अन्तर्गत उपश्रेणी के आरक्षण संबंधी लाभ हेतु निम्नांकित बिन्दु के अनुसार निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें :–

- दिव्यांगजनो के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र DGHS, MoHFW, New Delhi द्वारा निर्धारित केन्द्रो से निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितो के लिए आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
- भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र–पुत्री के लिए निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

20. अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज की सीटो पर प्रवेश हेतु च्वाईस फिलिंग अपनी वरीयता (Priority) के आधार पर की जाये। अभ्यर्थी द्वारा केवल उन्हीं कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है।
21. ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।
22. च्वॉइस फिलिंग के पश्चात् च्वॉइस लॉक करने पर किसी भी दशा में लॉक की गयी च्वॉइस में संशोधन/परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा एवं न ही इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पर महानिदेशालय द्वारा कोई विचार किया जायेगा।
23. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कालेज में पूर्ण की जायेगी।
24. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टर पर सम्पन्न की जायेगी।

कृते महानिदेशक